

**प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 16.03.2017 जनपद हमीरपुर-**

पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अशोक कुमार त्रिपाठी के निर्देशन मे जनपद हमीरपुर मे दिनांक- 15.03.2017को कानून व्यवस्था,अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये गये अभियानो मे निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की गयी।

**03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-**

-दिनांक 15.03.2017 को समय- 13-20 बजे थानध्यक्ष कुरारा ने मय हमराही पुलिस बल मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0-73/17,धारा- 147/148/332/353/436/504/506/ भादवि व् 07 clr एक्ट के वांछित अभियुक्त-01 मुलायम पुत्र रामगोपाल केवट 02 बाबू पुत्र मोतीलाल 03 सुरेंद्र पुत्र महादेव निवासीगण मंगलपुर कुरारा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

**-शान्तिभंग की आशंका मे 38 अभियुक्त गिरफ्तार-**

-थाना ललपुरा पुलिस द्वारा दिनांक 15.03.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

-थाना कुरारा पुलिस द्वारा दिनांक 15.03.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

-थाना सुमेरपुर पुलिस द्वारा दिनांक 15.03.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

-थाना जलालपुर पुलिस द्वारा दिनांक 15.03.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

-थाना जरिया पुलिस द्वारा दिनांक 15.03.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

-थाना मौदहा पुलिस द्वारा दिनांक 15.03.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

-थाना बिवार पुलिस द्वारा दिनांक 15.03.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

-थाना मुस्करा पुलिस द्वारा दिनांक 15.03.2017 को शान्तिभंग की आशंका मे 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

### **प्रेस विज्ञप्ति वाहन चेक दिनांक- 16.03.2017 जनपद हमीरपुर**

जनपद हमीरपुर.... दिनांक- 15.03.2017 को पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अशोक कुमार त्रिपाठी के आदेशानुसार यातायात व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद के समस्त थानों में दो पहिया व चार पहिया वाहनो का सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान में हैलमैट,डी.एल ,वीमा, व आवश्यक कागजो का ना होना, तीन सवारी, अवैध नम्बर प्लेट,सीट बैल्ट ना लगाना,ओवरलोडिंग आदि के खिलाफ कार्यवाही की गयी ।

चेकिंग अभियान में समस्त थानों से चेक किये वाहनो में 09 वाहनो से 1700 रु0 सम्मन शुल्क वसूला गया